



## कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 989 / 12-1 दिनांक, देहरादून 13, नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/37612/2018 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

संदर्भ : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/06/88/2020/एफ०सी०/1588 दिनांक 20.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/37612/2018 पर लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पत्रांक 1734/12-1 दि० 07.11.2020 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

क०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point no. 02, complete non-forest area now mentioned for muck disposal at para B-2.4 which is not correct as per muck disposal plan. Further, no comments on muck stabilization are submitted. State Government may provide the correct information in component wise breakup at para B-2.4, Part I and submit the comments on stabilization of muck.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण व मलवा निस्तारण स्थल के स्थिरीकरण के संबंध में ऑनलाईन पार्ट-1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में प्रमाण-पत्र संलग्न कर यथास्थान विवरण अंकित कर दिया गया है।
2	In reply to point no. 03, KML file has been uploaded now. On perusal of KML file the construction of road beyond point no. 35 (as per digital map) seems not justified as the road is in the dense forest area. State Government may restrict the construction upto that point or provide detailed justification of for the construction of road beyond point no. 35.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग के स्तर पर के०एम०एल० फाईल में दर्शाये गये बिन्दु सं०-35 से सड़क निर्माण किये जाने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में संशोधित प्रतिवेदन औचित्य स्पष्ट करते हुए ऑनलाईन पार्ट-1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है।
3	No correction/justification submitted for point no. 04, 05, 06, 10, 11, 12, 16 & 17 of the EDS letter, which may be submitted.	संबंधित बिन्दुओं के सापेक्ष वांछित सूचार्य ऑनलाईन पार्ट-1 व पार्ट-11 में यथास्थान एवं अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गयी है।
4	In reply to point no. 07, the details of trees are submitted in feet which is not appropriate. State Govt. may submit the details of trees as provided at para 4 in Part I online.	प्रस्ताव में वृक्षों की फील्ड स्तर पर Measurement (माप) Diameter classwise decimeter में किया जाता है, जिसे ऑनलाईन भरते समय में Girth class में तिगुना कर अपलोड किया जाता है।

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
5	In reply to point no. 08, number of trees mentioned in para 4 part li are 390, in SIR of CF number of trees are mentioned as 389 and in enumeration list of trees the same is mentioned as 208. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.	<p>प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में आरक्षित वन भूमि में प्रभावित हो रहे मात्र 211 वृक्षों का विवरण ही भाग-11 में अंकित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ग्राम समाज की भूमि में प्रभावित हो रहे 179 वृक्षों को सम्मिलित नहीं किया गया था। वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.08.2020 में वास्तविक रूप से विभिन्न प्रजाति के 390 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रजाति/परिधिवार विवरण ऑनलाईन भाग-11 में अपलोड कर दिया गया है।</p> <p>अतः प्र0व0अ0 द्वारा प्राप्त सूचना एवं अपोहस्ताक्षरी के स्थलीय निरीक्षण दि0 24.01.2020 के अनुसार प्रभावित वृक्षों की संख्या 389 के स्थान पर 390 संशोधित समझी जाय। सुलभ संदर्भ हेतु संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।</p>

अतः कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक:- उपरोक्त पत्र

( पी०के० पात्री )

वन संरक्षक,

शिवालिक वृक्ष, देहरादून।

पत्रांक 989 / 12-1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को उनके उक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

( पी०के० पात्री )

वन संरक्षक,

शिवालिक वृक्ष, देहरादून।

पी0के0 पात्रो, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के दिनांक 24.01.2020 के दौरे की  
निरीक्षण टिप्पणी (संशोधित)

दिनांक 24.01.2020 को अघोहस्ताक्षरी द्वारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.238 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन संबंधी प्रस्ताव में बाधित बांज वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया गया था।

- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग नवनिर्माण हेतु देहरादून वन प्रभाग के धानो रेंज के अन्तर्गत नाही कक्ष सं०-3 व 4 में निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

राजि	प्रजाति	भूमि का प्रकार	परिधिवार विवरण						कुल वृक्षों की संख्या
			0-30 से०मी०	31-60 से०मी०	61-90 से०मी०	91-120 से०मी०	121-150 से०मी०	(>150) से०मी०	
धानों राजि	बांज	आरक्षित/सि०सो० वन भूमि	0	6	6	3	1	0	16
योग			0	6	6	3	1	0	16
धानों राजि	अन्य प्रजाति	आरक्षित/सि०सो० वन भूमि	160	128	68	10	6	2	374
योग			160	128	68	10	6	2	374
कुल योग			160	134	74	13	7	2	390

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.09.2020 के आधार पर प्रस्तावित भूमि पर बाधित वृक्षों की संख्या 389 के स्थान पर उक्तानुसार 390 वृक्ष, संशोधित समझी जाय।

( पी०के० पात्रो )

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, देहरादून।

E-mail: cfshivalik@yohp.nic.in

Phone & Fax no. 0135-2658294



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 989 / 12-1 दिनांक, देहरादून, 13 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गडवाल), उत्तराखण्ड पौडी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, ऋषिकेश।

( पी०के० पात्रो )

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, देहरादून।